

**Need to include hamlets in Etah Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana based on realistic population data.-
laid**

श्री देवेश शाक्य (एटा) : माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा 23 जुलाई 2025 को संसद में देशभर की लगभग 25,000 अनुजुड़ी ग्रामीण बस्तियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 द्वारा संपर्क मार्ग प्रदान किये जाने की घोषणा की गयी थी। इस क्रम में उत्तर प्रदेश में अगस्त 2024 में 100 तथा 100 से अधिक आबादी का डेटा माँगा तथा सितंबर 2024 में 250 से अधिक आबादी का डेटा माँगा गया। सक्षम स्तर से जारी वर्तमान आबादी के आंकड़े और प्रमाणपत्र भी इस योजना की वेबसाइट पर अपलोड कराए गये जिसके फलस्वरूप संसदीय क्षेत्र कासगंज एटा के जिले एटा में 24 तथा जनपद कासगंज 35 अर्थात् कुल 50 मजरे पाये गये थे इससे हमेशा से अनुजुड़े रहे ऐसे मजरी की जनता में शीघ्र ही सर्व ऋतु मार्गों से जुड़ने की आशा जाग्रत हुई थी।

किन्तु दिसंबर 2024 में इस योजना की जारी विस्तृत गाइडलाइन्स में अनुजुड़े मजरों की आबादी का आधार वर्तमान आबादी न मानकर वर्ष 2011 को माना गया। 14 वर्ष पुराने आबादी के आंकड़ों के आधार पर किसी जन कल्याणकारी योजना की प्लानिंग, अतार्किक और जन सामान्य की अपेक्षाओं के विपरीत प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त जारी गाइडलाइन्स में आकांक्षात्मक विकास खण्डों में 250 तथा गैर आकांक्षात्मक विकास खंडों में 500 की न्यूनतम आबादी की शर्त भी इस कल्याणकारी योजना के लाभ में भेदभाव उत्पन्न करती है जिसे आम जनता स्वीकार नहीं कर रही है। इसके परिणामस्वरूप जनपद कासगंज तथा एटा में जहाँ वर्तमान आबादी की आधार पर पहले 59 पार मजरे पाए गये थे, वह अब घटकर मात्र 13 रह गये हैं। मेरी जानकारी में आया है कि इस त्रुटिपूर्ण निर्णय के कारण देश के सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 600 से भी कम मजरे ही योजना की गाइडलाइन्स के अनुरूप पात्र हो पा रहे हैं, यह आंकड़ा इस योजना से अपेक्षाओं को निराश करने वाला है।

अतः निवेदन है कि विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण सड़क निर्माण की इस योजना में आबादी का आधार वर्ष 2011 न मानकर जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन हेतु वर्ष 2024 में किये गये सर्वे के फलस्वरूप, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर अंकित आबादी के आंकड़ों को ही आधार माना जाये तथा मैदानी क्षेत्र के सभी विकास खण्डों में बिना आकांक्षात्मक विकास खण्ड का भेदभाव किए बिना न्यूनतम आबादी 250 के मानदंड को ही अंगीकार किया जाये ताकि देश की अधिकतम जनता इस योजना के लाभ से आच्छादित हो सके।